राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

प्रेस

विज्ञप्ति

बजट वर्ष 2011–12

बजट वर्ष 2011–12 के मुख्य बिन्दु

* चालू वित्तीय वर्ष हेतु योजना आयोग द्वारा 24045 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की गई थी। राज्य सरकार द्वारा संशोधित अनुमानों में योजनागत व्यय को 23563 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। आगामी वर्ष के लिए योजनागत व्यय 28461 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। यह योजना राज्य की अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना है एवं योजना आयोग द्वारा वर्ष 2010–11 के लिये अनुमोदित योजना के आकार से 18 प्रतिशत अधिक है।

* वर्ष 2011–12 हेतु बजट का आकार 63999 करोड़ रूपये है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 12 प्रतिशत अधिक है।

* आगामी वर्ष के बजट में 99 करोड़ रुपये का बजट अधिशेष अनुमानित है।

* आगामी वर्ष के बजट में कुल राजस्व आय 52287 करोड़ रुपये रहने की सम्भावना है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 14 प्रतिशत अधिक है।

* वित्तीय वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमानों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व 19416 करोड़ रुपये की तुलना में आगामी वर्ष के बजट में राज्य का स्वयं का कर राजस्व 21349 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 10 प्रतिशत अधिक है।

* बजट अनुमान 2011–12 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य की स्वयं की कर राजस्व आय 6.40 प्रतिशत है।

* राज्य द्वारा लिये गये ऋणों के ब्याज भुगतान हेतु आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में 8012 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ब्याज भुगतान, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 15.32 प्रतिशत है।

* वर्ष 2011–12 के बजट में राज्य का राजस्व आधिक्य 353 करोड़ रूपये एवं राजकोषीय घाटा 8063 करोड़ रुपये आकलित किया गया है। वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमानों में राज्य का राजस्व घाटा 889 करोड़ रुपये है, इस प्रकार आगामी वर्ष में राजस्व घाटा 1242 करोड़ रुपये से कम होकर 353 करोड़ रुपये के राजस्व आधिक्य में परिवर्तित हो गया है। राज्य का राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान 2010–11 में जीएसडीपी का 2.49 प्रतिशत है जो आगामी वर्ष घटकर 2.42 प्रतिशत रहना अनुमानित है।

* तेरहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2011–12 में राजस्व घाटा समाप्त करने एवं राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। आय–व्ययक अनुमानों के अनुसार यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

* बजट अनुमान 2011–12 में पूँजीगत परिव्यय 8550 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 1731 करोड़ रुपये अधिक है। वर्ष 2011–12 का पूंजीगत परिव्यय

जीएसडीपी का 2.50 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह 2.25 प्रतिशत संभावित है।

* वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना में ऊर्जा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए योजना मद के अन्तर्गत 42 प्रतिशत राशि प्रावधित की गई है।
* वर्ष 2011–12 के बजट में योजना मद के अन्तर्गत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिये वार्षिक योजना की 30 प्रतिशत राशि प्रावधित की गई है।
* चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में राजकोषीय घाटे में 908 करोड़ रुपये की कमी हुई है।
* देश में पहली बार 'एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली' से बजट तैयार किया गया है।
* अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घटकों हेतु, आगामी वर्ष के बजट में क्रमशः 16.66 प्रतिशत तथा 13.02 प्रतिशत का वास्तविक प्रावधान संबंधित विभागों के बजट मदों में अलग से इंगित।
* आगामी वर्ष 1 हजार 530 करोड़ रुपये की लागत से, 500 व इससे अधिक आबादी की 1 हजार 833 ढाणियों एवं मजरों को, सड़कों से जोड़ना।
* 'धार्मिक सड़क योजना' – 280 करोड़ रुपये की लागत से 610 धार्मिक स्थल, सड़कों से जोड़े जायेंगे।
* 1 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों की मिसिंग लिंक्स सड़कों का निर्माण एवं, सड़कों की रिकार्पेटिंग का कार्य। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 7 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे।
* वर्ष 2011–12 में ऊर्जा क्षेत्र में 12 हजार 67 करोड़ रुपये का योजनागत व्यय प्रस्तावित।
* वितरण कंपनियों के **O&M** वृत्तों, खंडों एवं उपखंडों का पुनर्गठन। दो वर्षों में लगभग 8 हजार 500 नवीन पदों का सृजन
* डूंगरपुर–बांसवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण हेतु 1 हजार 200 करोड़ रुपये का अंशदान
* राजस्थान जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण का गठन एवं राजस्थान भू–जल नियंत्रण एवं प्रबंधन कानून बनाने का प्रस्ताव।
* बीकानेर में **'Hydrology and Water Management Institute'** की स्थापना।
* पंजाब स्थित इंदिरा गांधी नहर फीडर की मरम्मत हेतु 952 करोड़ रुपये की योजना ।
* 1 हजार 420 करोड़ रुपये का एवं केंद्रीय प्रवर्तित योजना मद में 1 हजार 200 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित।
* बीकानेर शहर में शुद्ध पेयजल हेतु जल शोधक संयंत्र की स्थापना।
* सर्वाधिक पिछड़े 50 खंडों में 108 एंबूलेंस तथा मेडिकल मोबाइल वैन उपलब्ध कराना।
* एक या दो बालिकाओं के जन्म पर नसबंदी ऑपरेशन करवाने वाली माताओं को **'रोल मॉडल'** के रूप में प्रस्तुत करने के लिए 'ज्योति योजना'।

* 50 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना एवं 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करना
* सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 335 कनिष्ठ विशेषज्ञों के पदों का सृजन।
* सामुदायिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 114 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों का सृजन।
* सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सालयों में 660 शैय्याओं की वृद्धि।
* 15 जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटरों हेतु 15 उप–प्रधानाचार्य एवं 123 नर्सिंग ट्यूटर के पदों का सृजन।
* **'राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन'** का गठन ।
* 2 अक्टूबर 2011 से राजकीय अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को आवश्यक दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी।
* **NRHM** के अंतर्गत 975 नर्स ग्रेड–II एवं **GNM** की नियुक्तियां
* सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, 289 आयुर्वेद, 40 यूनानी एवं 40 होम्योपैथी चिकित्सकों तथा 392 आयुर्वेद नर्स–कंपाउंडरों की नियुक्ति।
* ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सकों के 250 रिक्त पदों को भरना।
* करौली जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल के नये भवन का निर्माण।
* 70 करोड़ रुपये की लागत से 250 उप–स्वास्थ्य केन्द्रों, 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण।
* आमजन हेतु टोलफ्री **'104 चिकित्सा परामर्श सेवा'।**
* **'मुख्यमंत्री सहायता कोष'** के अंतर्गत देय चिकित्सा सहायता हेतु आय की पात्रता सीमा 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये वार्षिक
* **'चिकित्सा शिक्षा निदेशालय'** की स्थापना।
* मेडिकल कॉलेजों में नर्स ग्रेड–2 के 1 हजार पद, टेक्नीशियनों के 60 पद तथा वार्ड ब्वॉय के 150 पदों पर भर्ती।
* मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध चिकित्सालयों को आवश्यक उपकरण क्रय करने हेतु 40 करोड़ रुपये।
* मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध चिकित्सालयों के भवनों की मरम्मत एवं उच्चीकरण पर 30 करोड़ रुपये।
* मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में संक्रामक रोग संस्थान तथा मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर में **Emergency** एवं **OPD** ब्लॉक का निर्माण
* निःशक्तजनों हेतु पृथक **'निदेशालय'** की स्थापना।

* अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं भरतपुर संभाग मुख्यालयों पर, 50 व्यक्तियों की क्षमता के मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह की स्थापना।
* राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों के विद्यार्थियों के मैस भत्ते में 250 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी।
* विशेष पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु 200 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज।
* अल्पसंख्यक समुदाय की महिला उद्यमियों द्वारा समय पर ऋण चुकाने पर संपूर्ण ब्याज की छूट।
* समस्त संभागीय मुख्यालयों पर अल्पसंख्यक कन्या छात्रावासों की स्थापना।
* मदरसा टीचर्स का न्यूनतम मानदेय 3 हजार 500 रुपये।
* 'मदरसा बोर्ड' हेतु नये भवन का निर्माण।
* सहरिया परिवारों हेतु पैकेज।
* **PESA Act** के प्रावधानों के अनुसार जनजाति अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को अधिकार दिये जायेंगे।
* साथिनों एवं आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 250 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि।
* 'राजस्थान महिला (अत्याचार निवारण एवं संरक्षण) विधेयक' लाया जायेगा।
* Rajasthan Knowledge Corporation से कंप्यूटर का प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं से कोई प्रशिक्षण शुल्क नहीं
* JICA की बाह्य सहायता से 1 हजार 153 करोड़ रुपये की लागत का Rajasthan Forestry and Bio-Diversity Project,
* रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र के समीपस्थ गाँव के परिवारों को कुकिंग गैस कनेक्शन हेतु 1 हजार रुपये का अनुदान।
* 'इंदिरा आवास योजना' एवं 'मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना' के अंतर्गत आगामी 3 वर्षों में लगभग 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने की घोषणा।
* जिला परिषदों में मुख्य विधि सहायक के 33 नवीन पद, पंचायत समितियों में प्रसार अधिकारी के 182 पद, कनिष्ट लिपिकों के 309 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 209 पदों का सृजन एवं कनिष्ठ अभियंताओं के 121 रिक्त पदों पर भर्ती।
* पंचायती राज संस्थाओं को तेरहवें वित्त आयोग का 576 करोड़ रुपये एवं राज्य का 1 हजार 491 करोड़ रुपये का अनुदान तथा करों में हिस्सा।
* डिग्गियों, फार्म पोण्ड्स एवं टांकों के निर्माण हेतु 15 हजार का लक्ष्य। डिग्गी निर्माण पर 2 लाख रुपये एवं फार्म पोण्ड तथा टांकों हेतु 50 हजार रुपये का अनुदान।
* बूँद–बूँद सिंचाई हेतु 90 प्रतिशत अनुदान।
* भरतपुर में एक 'राज्यस्तरीय एग्रो एण्ड फूड प्रोसेसिंग सेंटर' की स्थापना।
* कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर में कन्या छात्रावास का निर्माण।

* राजसमन्द एवं करौली में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना।
* 6 हजार करोड़ रुपये के फसली ऋणों का लक्ष्य।
* TSP क्षेत्रों में जनजाति के बीपीएल परिवारों को शेयर पूंजी के अंशदान हेतु अनुदान।
* 100 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों का पशु चिकित्सालयों में, 200 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों का पशु औषधालयों में, तथा 45 पशु चिकित्सालयों का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन।
* 'राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन' की स्थापना।
* असंगठित श्रमिकों हेतु संभागीय मुख्यालयों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।
* 300 संस्कृत शिक्षकों सहित, 50 हजार शिक्षक ग्रेड–3 के पदों पर भर्ती।
* प्रधानाध्यापक, स्कूल व्याख्याता, अध्यापक ग्रेड–द्वितीय एवं प्रयोगशाला सहायक के, कुल 25 हजार 406 नये पद स्वीकृत
* ग्रामीण क्षेत्रों की कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत लगभग 1 लाख 42 हजार छात्राओं को साईकिलों का वितरण।
* 'विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना' के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों का 1 लाख रुपये का बीमा।
* विधवा अथवा परित्यक्ता महिलाओं को सरकारी ख़र्चे पर BSTC अथवा B.Ed. करने की सुविधा।
* 500 पदों पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा।
* 400 करोड़ रुपये की लागत से 134 ब्लॉक्स में मॉडल स्कूलों का निर्माण।
* महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों के 200 रिक्त पदों पर भर्ती।
* कोटा में एक IIIT की स्थापना।
* उदयपुर तथा सहरिया क्षेत्र में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना।
* बाड़मेर, बारां, चूरू, करौली, धौलपुर एवं जैसलमेर जिलों में इंजीनियरिंग कालेज हेतु निःशुल्क भूमि की घोषणा।
* भरतपुर में खेलों, विशेषकर कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए खेल संकुल की स्थापना।
* झुंझुनूं में 'Physical Education and Sports University' की स्थापना।
* 'राजस्थान ऑन लाइन परियोजना' लागू की जायेगी।
* अजमेर और जोधपुर जिलों में ई–डिस्ट्रिक्ट योजना।
* 10 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश हेतु सभी जिलों में एकल खिड़की निस्तारण व्यवस्था लागू
* पाली, जोधपुर, बालोतरा में पावर लूम इकाइयों हेतु निवेश प्रोत्साहन योजना।
* मकराना–परबतसर रेल मार्ग के डाइवर्जन हेतु राज्य सरकार द्वारा 7 करोड़ रुपये का अंशदान।
* 'रोड़ सेफ्टी फंड' के गठन हेतु 10 करोड़ रुपये का अंशदान।

* समस्त पंचायत मुख्यालयों को तीन वर्षों में बसों से जोड़ना।
* पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा हेतु वरिष्ठ नागरिकों की आयुसीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष।
* राज्य में 32 ROB के निर्माण की घोषणा।
* झीलों के संरक्षाण हेतु राजस्थान झील विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा।
* Institute of Museum and Heritage Studies की स्थापना।
* 2 अक्टूबर से, 'प्रशासन शहरों के संग अभियान–2011'
* जंतर–मंतर के सौंदर्यीकरण पर 2 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे।
* धार्मिक स्थलों हेतु 1 करोड़ 50 लाख रुपये के विकास कार्य।
* पर्यटन हेतु जिला कलक्टर द्वारा 10 हैक्टेयर तक की भूमि का रूपांतरण करने का अधिकार।
* ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 12 गाँवों को 50–50 लाख रुपये।
* सवाईमानसिंह टाऊन हॉल एवं जलेब चौक, जयपुर में International Museum and Art Square की स्थापना हेतु 45 करोड़ रुपये की परियोजना
* 48 हजार 359 मंदिरों को न्यूनतम 1 हजार 200 रुपये प्रतिवर्ष की वार्षिकी। मंदिरों हेतु भोग की राशि में 50 प्रतिशत वृद्धि।
* कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर 20 हजार रुपये का अनुदान।
* आगामी 3 वर्षों में 12 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती ।
* एकीकृत अग्निशमन सेवा का गठन।
* प्रहरियों सहित विभिन्न श्रेणियों के 500 पदों पर भर्ती की घोषणा ।
* उदयपुर, कोटा एवं अजमेर में एन्टी टेरेरिस्ट स्क्वाड **(ATS)** का गठन
* 15 नये पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना।
* भूमि अवाप्ति की नई नीति जारी करने की घोषणा।
* ग्राम प्रतिहारियों कस मानदेय बढ़ाकर 3 हजार रुपये चार माह हेतु।
* 'Guaranteed Delivery of Public Services Act' लागू होगा।
* सरकार में pending claims के निपटारे के लिए विशेष अभियान।
* राजस्थान लोक सेवा आयोग अथवा किसी भी अन्य राजकीय विभाग, निगम, बोर्ड में नवीन नियुक्ति हेतु साक्षात्कार पर बुलाये जाने पर बस–रेल किराये की राशि का पुनर्भरण।
* स्वतंत्रता सैनानियों पेंशन राशि को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये। चिकित्सा सहायता के रूप में एक हजार रुपये प्रतिमाह।
* जिला मीडिया सेंटर्स की स्थापना।
* पत्रकार–साहित्यकार कोष एवं कलाकार कोष हतु 2–2 करोड़ रुपये के अंशदान की घोषणा
* 50 वर्ष से अधिक आयु के राज्य कर्मियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण।

बजट वर्ष 2011–12 के कर प्रस्ताव

कर दरों में राहत

आम आदमी को 255 करोड़ रूपये से अधिक की राहत

- दाल–रोटी कम कीमत पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समस्त दालों, गेहूँ एवं चावल को करमुक्त किया गया।
- PDS के माध्यम से वितरित केरोसिन को भी करमुक्त किया गया।
- 500 रूपये तक के स्कूल बैग को करमुक्त किया गया।
- डेजर्ट कूलर्स पर कर दर 14 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की गई।
- एल.ई.डी. लेम्पस एवं रोटो मोल्डेड प्लास्टिक वाटर स्टोरेज टैंक पर कर दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
- ग्रामीण एवं अन्य श्रेणी के मार्गों पर नयी बसों के संचालन को बढ़ावा देने के लिये ऐसे मार्गों पर संचालित नयी पंजीकृत स्टेज कैरिज बसों को, पंजीयन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये, विशेष पथ कर में शत–प्रतिशत छूट दी गई।
- गृहिणियों की रोजमर्रा की वस्तुऐं यथा चकला, बेलन, गैस लाईटर, चिमटा, इमामदस्ता, मूसली, झर, छलनी, मुल्तानी मिट्टी आदि वस्तुऐं करमुक्त की गई।

कृषि, सहकारिता एवं डेयरी

- कृषि ट्रेक्टरों एवं कम्बाईन हार्वेस्टर को मोटर वाहन कर की अदायगी से पूर्णतया मुक्त किया गया।
- UHT Milk को ताजा दूध के समान करमुक्त किया गया।
- Electronic Milk Tester एवं इसके पार्ट्स पर कर दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
- मोलेसेस (Molasses) की खरीद करने वाले पशुआहार उत्पादकों के लिये मोलेसेस पर कर दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
- ताजा फलों और सब्जियों को बिना शर्त पूर्णरूप से करमुक्त किया गया।

- कृषि भूमि के विनिमय (Exchange) एवं पैतृक कृषि भूमि के विभाजन (Partition) के दस्तावेजों पर देय 1 प्रतिशत पंजीयन शुल्क जो अधिकतम 50 हजार रूपये होता है, को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया।

कारीगर एवं कामगार

- नमदा, हाथ से कती हुई ऊन व सभी मूल्यों की रजाईयों एवं हस्त निर्मित ऊनी गलीचों को करमुक्त किया गया।
- वेल्डिंग होल्डर, वेल्डिंग ग्लास व वेल्डिंग मशीन, सिंथेटिक इंडस्ट्रियल डायमंड पाउडर तथा जैम्स स्टोन कटिंग एवं पालिशिंग टूल्स तथा पर कर दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।

उद्योग एवं व्यापार का संरक्षण तथा राहत

- वार्षिक टर्नओवर के आधार पर कम्पोजिशन योजना अपनाने वाले खुदरा व्यापारी वर्ग के लिये लागू अधिकतम टर्नओवर की वर्तमान सीमा 50 लाख रूपये से बढ़ाकर 60 लाख रूपये की गयी।
- एस. एस. शीट्स एवं सर्किल्स पर वैट की वर्तमान दर 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की गई।
- आउटडोर केटरर्स द्वारा परोसे जा रहे भोजन, लाइमस्टोन, बेकरी यीस्ट एवं लूज स्प्रिंग लीव्ज़ पर कर दर 14 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की गई।
- साबुन उद्योग को राहत देते हुए 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य Oil based washing soap की MRP सीमा 50 रूपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 60 रूपये प्रति किलोग्राम की गई।

निवेश प्रोत्साहन

- RIPS 2010 में Investment Subsidy का भुगतान रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 30 दिवस में स्वतः ई–माध्यम से किया जायेगा।
- RIPS 2010 में Employment Generation Subsidy 10 हजार रूपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तथा महिलाओं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा निशक्तजनों के मामले में 12 हजार रूपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष को बढ़ाकर क्रमशः 15 हजार व 18 हजार किया गया।

- Policy for Promotion of Agro Processing and Agri-Business, 2010 के अन्तर्गत देय अतिरिक्त रोजगार आधारित प्रोत्साहन राशि को 2 हजार रूपये बढ़ाया ।

संस्थाऐं एवं रक्षा बल

- धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित भोजनशालाओं एवं चैरीटेबल संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे भोजन करमुक्त।
- खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अथवा आयोग में पंजीकृत इकाइयों की कर से छूट हेतु वर्तमान टर्नओवर सीमा 1 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रूपये की गई।
- CRPF व CISF संचालित कैन्टीन को भी CSD के अनुरूप कर में छूट दी गई।

मनोरंजन कर

- नागरिकों को स्वस्थ मनोरजंन कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिये DTH एवं केबल TV को मनोरजंन कर से मुक्त किया गया।
- सिनेमा उद्योग को मनोरजंन कर से पूर्ण छूट प्रदान की गई ।
- एक लाख तक की आबादी वाले शहरों में स्थित सिनेमाघरों पर अधिरोपित नगरीय विकास कर में 50 प्रतिशत छूट दी गई।

<u>प्रक्रिया का सरलीकरण</u>

- रिर्टन एवं देय कर दिनांक 31.03.2011 तक जमा कराने पर आरोपित होने वाली शास्ति एवं ब्याज माफ किये गये। ऐसे व्यापारियों के कर निर्धारण डीम्ड होंगे।
- व्यवहारियों के आई.टी.सी. सत्यापन, रिफण्ड एवं कर निर्धारण कम्प्यूटर द्वारा शीघ्र हो सकें इसलिये आगामी वित्तीय वर्ष से विशिष्ट श्रेणी के व्यापारियों को छोड़कर, अन्य सभी के लिये रिटर्न की ई–फाईलिंग अनिवार्य।
- रिटर्न की ई–फाईलिंग करने में कम समय लगे, इस उद्देश्य से वैट एवं सी.एस.टी. रिटर्न Form को एकीकृत किया गया।
- ऐसे व्यापारी जिनका गत वर्ष का वार्षिक कर 5 लाख रूपये से अधिक हो, के लिये, आगामी वित्तीय वर्ष से कर का e-Payment अनिवार्य जिससे कम्प्यूटर से कर निर्धारण में सहायता मिलेगी।

- माह में दो बार कर जमा कराने वाले व्यापारियों को राहत देते हुए उन्हें माह में एक बार कर जमा कराने की सुविधा दी गई ।
- पूर्णतया कर मुक्त कारोबार करने वाले, केवल प्रथम बिन्दु पर कर चुका माल ही खरीद कर बेचने वाले एवं एमआरपी पर कर चुकी वस्तुओं का व्यापार करने वाले व्यापारियों को त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुति से मुक्ति।
- राज्य के बाहर से स्वयं के प्रयोग के लिए वाहन लाने पर लागू फार्म–ई–टी–1 को समाप्त किया गया।
- 60 लाख तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों द्वारा चाहे जाने पर, वाणिज्यिक कर विभाग निशुल्क डिजिटल सिग्नेचर उपलब्ध करायेगा।
- कुछ श्रेणियों में सर्वाधिक कर जमा कराने वाले व्यापारियों के लिये "व्यवहारी सम्मान योजना"। व्यापारी को "राज–मित्र" के रूप में सम्मानित किया जायेगा।
- ट्रेक्टर को छोड़कर सभी प्रकार के मोटर वाहनों एवं उनके पार्ट्स व एसेसरीज, एयर कण्डीश्नर, रेफ्रीजरेटर, मिनरल वाटर आदि पर लागू 14 प्रतिशत वैट तथा 1 प्रतिशत प्रवेश कर की दोहरी कर व्यवस्था को समाप्त किया जाकर इन वस्तुओं पर वैट दर 15 प्रतिशत किया गया।

<u>पंजीयन एवं मुद्रांक</u>

- राज्य के सभी 7 सम्भागीय मुख्यालयों पर सुरक्षित व टेम्पर प्रूफ ई–स्टाम्प जारी किये जाने की व्यवस्था लागू की जायेगी।
- डवलपर एग्रीमेन्ट सहित अचल सम्पत्ति के विक्रय से संबंधित सभी प्रकार के इकरारनामों (Agreement to Sale) का पंजीयन अनिवार्य।
- गिफ्ट डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट की परिधि में पूर्व में शामिल परिवारजनों के साथ नाती व नातिन के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड को भी शामिल किया गया।
- बन्ध पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई।
- स्टाम्प वेंडर्स को चार सौ रूपये से अधिक मूल्य के Denomination वाले स्टाम्प के विक्रय पर देय Discount fee जो वर्तमान में प्रति सौ रूपये पर बीस पैसे से पचास पैसे है, बढ़ाकर एक समान एक रूपया की गई।

- आगामी वर्ष में 1000 स्टाम्प वेंडर्स व 1000 डीड राईटर्स को नवीन अनुज्ञापत्र दिये जायेंगे।
- औद्योगिक, सांस्थानिक तथा पर्यटन प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि की DLC दरों के संबंध में स्पष्टता हेतु प्रावधान किये जायेगे।

Rajasthan Transport Infrastructure Development Fund (RTIDF)

- नागरिकों को सुव्यवस्थित व सुरक्षित परिवहन की आधुनिक एवं आधारभूत सुविधाऐं सुलभ कराने एवं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु RTIDF की स्थापना की घोषणा।
- RTIDF के लिये राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम 1951 के अन्तर्गत देय समस्त प्रकार के एक बारीय अथवा एक मुश्त कर पर 10 प्रतिशत एवं अन्य प्रकार के देय करों पर 5 प्रतिशत अधिभार लगाया गया। इस अधिभार से 3 लाख रूपये तक की कीमत वाले वाहनों को मुक्त रखा गया है।
- प्रदूषण नियंत्रित करने के उपायों के प्रयोजनार्थ पुराने वाहनों के अतिरिक्त नवीन वाहनों पर भी ग्रीन टैक्स अधिरोपित किया जायेगा।

पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों का वित्तीय सशक्तीकरण

- स्थानीय निकायों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन को स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जुटाये जाने हेतु राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 में अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण से संबंधित कतिपय दस्तावेजों पर देय स्टाम्प शल्क पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज ।
- प्रति माह 100 युनिट से अधिक बिजली का उपभोग करने वाले शहरी उपभोक्ताओं पर नगरीय उपकर (Urban Cess) को प्रति युनिट 5 पैसा बढ़ाया गया।

अन्य कर प्रस्ताव

- एवियेशन टरबाईन फ्यूल पर कर दर 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की गई।
- पान मसाला, तम्बाकू व तम्बाकू उत्पादों पर कर दर बढ़ाकर 40 प्रतिशत की गई तथा ऐसे कुछ उत्पादों पर देय कर प्रथम बिन्दु पर लिया जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- भूमि की DLC दरों में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी ।

प्रशासनिक सुदृढीकरण

- टैक्स सेटलमेन्ट बोर्ड को प्रभावी एवं निष्पक्ष रूप से क्रियाशील करने हेतु पुनर्गठन। इसके अध्यक्ष माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश होंगे।
- विशिष्ट प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन राज्य कर अकादमी (State Tax Academy, Rajasthan) स्थापित की जायेगी।
- वाणिज्यिक कर विभाग में ACTO से उच्चतर पदों की संख्या में अपग्रेडेशन द्वारा 120 पदों की बढ़ोतरी की जायेगी।
- पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के समस्त उपपंजीयक एवं उपमहानिरीक्षक कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा। विभाग में एक अतिरिक्त महानिरीक्षक सहित 200 नये पदों का सृजन।

.....